

राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, अलवर ।

क्रमांक: एलपोल / छात्र / 2022 /

दिनांक:

कार्यालय- आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 887/2009 (एस पी एल -सी 27295/2000) में पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की क्रियान्विति के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, द्वारा जारी निर्देशों की पालनान्तर्गत निदेशालय तकनीकी शिक्षा द्वारा जारी पत्र संख्या 7080-7140 दिनांक 13.08.09 के क्रम में निर्देशानुसार निम्नानुसार एन्टी रैगिंग स्कवायड / कमेटी गठित की जाती है।

एन्टी रैगिंग स्कवायड / कमेटी

1. श्री मदन मोहन सेतिया प्रधानाचार्य-अध्यक्ष
2. प्रतिनिधि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, अलवर
3. प्रतिनिधि श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर
4. प्रतिनिधि एन जी ओ - श्री वी.पी. शर्मा, माता श्री गोमती देवी जनसेवा निधी संस्थान अलवर
5. प्रतिनिधि फेक्लटी - श्रीमती मीरा मीणा व.प्रवक्ता सिविल
श्री के सी मीणा प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स
श्री विनोद यादव प्रवक्ता अतकनीकी
श्री उम्मेद सिंह कसाना प्रवक्ता विधुत
श्री अरविन्द कुमार प्रवक्ता यांत्रिकी
6. प्रतिनिधि स्थानीय मिडिया - श्री रूपक शर्मा, बढता राजस्थान, अलवर
7. प्रतिनिधि विद्यार्थी पेरेन्ट्स - श्री सुनील शर्मा स्टेशन रोड, जाल वाला कुआं, अलवर
8. प्रतिनिधि विद्यार्थी फ़ेशर एवं सीनियर्स - छात्र अशोक कुमार शर्मा प्रथम वर्ष सिविल
छात्र पुरुषोत्तम प्रजापत द्वितीय वर्ष सिविल
छात्र करन सिंह नरुका तृतीय वर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स
9. प्रतिनिधि अशैक्षणिक स्टाफ - श्री अनिल खण्डेलवाल नि.स.

प्रधानाचार्य

क्रमांक: एलपोल / छात्र / 2022 / 2559-62

दिनांक 18/04/22

- प्रतिलिपि:- 1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय अलवर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया एन्टी रैगिंग कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी को नामित करने का श्रम करावें।
2. श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय अलवर को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया एन्टी रैगिंग कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी को नामित करने का श्रम करावें।
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक एवं अध्यक्ष एन्टी रैगिंग मॉनिटरिंग सैल प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर को सूचनार्थ
4. समस्त संबंधित श्री


प्रधानाचार्य